



KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual



PRABHU SIR

5. शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, अल्पसंख्यक विद्यालय में आरक्षण लागु नहीं होगा। Provision for reservation was made for admission in educational institutions, reservation will not be applicable in minority schools.

→ सरकारी नौकरी - Govt. Job

✓ अनु. 16 - लोक नियोजन में अवसर की समानता Equality of opportunity in public employment.

जाती धर्म लिंग वंश के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेद भाव नहीं किया जायेगा। There will be no discrimination in government jobs on the basis of caste, religion, sex and lineage.



अनु. 16 - D - सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान Provision of reservation in government jobs.

SC , ST , महिला व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। **Provision for reservation in jobs has been made for SC, ST, women and other weaker sections.**

→ DBC-आधिकारी .


V.P. MANDAL Commission 1979- विदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में OBC के आरक्षण का प्रावधान किया गया जिसकी रिपोर्ट 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री V. P. सिंह को सौंपा गया , 1990 में 10 वर्ष के लिए आरक्षण को लागू किया गया।

Under the chairmanship of Videshwari Prasad, provision for reservation of OBC was made, the report of which was submitted to the then Prime Minister V. P. Singh, reservation was implemented for 10 years in 1990.

V.P मण्डल → दुसरा OBC आधिकारी

✓ इंदिरा साहनी vs संघ 1992 - के मामले में जब आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया तो, यह हुआ की आरक्षण किसी भी आधार पर 50% से अधिक नहीं दिया जायेगा। In the case of Indira Sahney vs Union 1992, when reservation was proposed on economic basis, what happened was that reservation would not be given more than 50% on any basis.

Creamy layer—



अनु. 17 - अस्पृश्यता का अंत. - (छुआछूत समाप्त) End of untouchability. -
(Untouchability ended)

छुआछूत को किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं दिया जायेगा. यदि इसे कोई बढ़ावा देता है तो उसे विधि द्वारा दण्डित किया जायेगा। Untouchability will not be promoted in any form. If anyone promotes this, he will be punished by law.

विधि

1. अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 जिसका नाम परिवर्तन कर के सामान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। Untouchability Prevention Act 1955, whose name was changed to Civil Rights Protection Act 1976.
2. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (SC/ST ACT) लागू किया गया। Prevention of Atrocities Act 1989 (SC ST ACT) was implemented.

इसे शिक्षा, विधि और जनजागरण के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। It can be ended through education, law and public awareness.

इस अनु. पर गांधी दर्शन का प्रभाव है। This Article. But there is influence of **Gandhi philosophy.**

यह मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति का अधिकार है। This fundamental right is the right of one person against another.



अनु. 18 - उपाधियों का अंत - End of titles -

- ब्रिटेन के द्वारा लाए गए **उपाधिया** जिसका प्रयोग नाम के पहले किया जाता था उसे भारत में समाप्त कर दिया गया। जैसे **लॉर्ड**, **सर**, **रायबहादुर** आदि **उपाधिया** The titles brought by Britain, which were used before the name, were abolished in India. Titles like Lord, Sir, Raibahadur, etc. **नाश्ट हुए**

योग्यता के आधार पर आज भी नाम के पूर्व लगने वाली **उपाधिया** राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर प्रदान की जाती है। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, डाक्टर आदि। Even today, titles prefixed to the name on the basis of merit are awarded with the prior permission of the President. Like Engineer, Doctor, Doctor etc.



१) राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर भारत सरकार या राज्य सरकार शिक्षा साहित्य शौर्य रुद्रेन्दी आदि क्षेत्र में उपाधि प्रदान किया जाता है। With the prior permission of the President, the degree is awarded by the Government of India or the State Government in the fields of education, literature, bravery etc.

२. यदि किसी भारतीय व्यक्ति को विदेश में उपाधि दी जा रही हो तो उसे ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। If an Indian person is being given a title in a foreign country, then the consent of the President is necessary before accepting it.

३. यदि भारतीय विधि के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को उसके देश में उपाधि मिल रही हो तो भी राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। Even if a person covered under Indian law is getting a degree in his own country, the consent of the President is necessary.



KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING

